

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

क्रमांक 19963 /स्था/अराज/एमसी/2021

रीवा, दिनांक 15-9-2021

--: श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा में अस्पताल प्रबंधन के रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति - 2021 :-

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम


क्रमांक	गतिविधि	तिथि
01	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	14 सितंबर 2021
02	ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	13 अक्टूबर 2021
03	आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रारम्भ तिथि	10 अक्टूबर 2021
04	आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि	14 अक्टूबर 2021
05	प्रवेश पत्र जारी होने की संभावित तिथि	24 अक्टूबर 2021
06	परीक्षा की संभावित तिथि	04 नवंबर 2021 (शनिवार)

नोट- परीक्षा का समय एवं स्थान अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर अंकित होगा।

परीक्षा शुल्क	
अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये	रु. 1600/- (जी.एस.टी. सहित) (रु.800/- एमपी ऑनलाईन शुल्क + रु. 800/-संस्था हेतु)
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये	रु. 1500/- (जी.एस.टी. सहित) (रु.800/- एमपी ऑनलाईन शुल्क + रु. 700/-संस्था हेतु)
➤ ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु एक बार के लिए एम.पी. ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क रु. 50/- + जी.एस.टी. देय होगा।	
➤ परीक्षा उपरान्त प्रश्न पत्र से संबंधित प्रत्येक प्रश्न पर आब्जेक्शन हेतु एम.पी. ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क रु. 50/- + जी.एस.टी. देय होगा।	

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
2. परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी को विनिश्चय मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड/आधार कार्ड की छायाप्रति/आधार नम्बर/आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।



5. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेब्लस एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
6. ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
7. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
8. परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी (English)/हिन्दी होगा।
9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
10. आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थियों के किसी भी प्रमाण-पत्र का परीक्षण एम.पी.ऑनलाइन द्वारा नहीं किया जावेगा। अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का परीक्षण संस्था द्वारा किया जावेगा। अतः कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में अभ्यर्थियों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी।
11. अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

परीक्षा आयोजन के नियम एवं निर्देश

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-06/2018/1-55 भोपाल, दिनांक 07.04.2018 द्वारा जारी "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018" एवं संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 579/स्था/अराज/2021 भोपाल, दिनांक 15.06.2021 द्वारा प्राप्त गैर शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत अस्पताल प्रबंधन हेतु स्वीकृत नवीन पदों की संशोधित अनुसूचियों के आधार पर स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा में निम्नलिखित रिक्त पदों पर आवेदन प्राप्त कर भर्ती परीक्षा के आधार पर प्रावीण्यता सूची एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से तैयार की जानी है:-

स.क्र	पद का नाम	रोस्टर अनुसार रिक्तियां					कुल
		UR	OBC	ST	SC	EWS	
01	उप-रजिस्ट्रार	01	—	—	—	—	01
02	अस्पताल प्रबंधक	01	—	—	—	—	01
03	अस्पताल सहायक प्रबंधक	01	01	—	—	—	02
04	बायोमेडिकल इंजीनियर	01	—	—	—	—	01


नोट- पदों की संख्या नियमानुसार बढ़ाई/घटाई जा सकेगी।

02. अर्हताएं एवं मासिक वेतन :-

स. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	एकमुश्त मासिक वेतन
1	2	3	4	5
1.	उप-रजिस्ट्रार	21 वर्ष	1. Master of Hospital Administration/ Master of Hospital Management/ M.B.A.H.R. 2. शासकीय/स्वशासी महाविद्यालय अथवा स्वशासी/निजी चिकित्सा महाविद्यालय में अकादमिक/प्रबंधकीय कार्य का 03 वर्ष का अनुभव।	60,000 / -
2.	अस्पताल प्रबंधक	21 वर्ष	1. Master of Hospital Administration/ Master of Hospital Management 2. अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में 03 वर्ष का अनुभव।	60,000 / -
3.	अस्पताल सहायक प्रबंधक	21 वर्ष	1. Master of Hospital Administration/ Master of Hospital Management 2. अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में 01 वर्ष का अनुभव।	40,000 / -
4.	बायोमेडिकल इंजीनियर	21 वर्ष	1. B.E./B.Tech. (in Bio Medical Engineer) 2. 300 बिस्तरीय अस्पताल में 01 वर्ष का अनुभव।	60,000 / -

टीप-

1. एकमुश्त मासिक वेतन के पदों पर नियुक्त अधिकारियों को 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ सी.पी.आई. के मान से होने वाली वृद्धि के आधार पर वेतन पर वार्षिक वृद्धि देय होगी।
2. भारत का राजपत्र क्र. 27 जुलाई 5-जुलाई-11, 2014 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रीयों का विनिर्देशन के अनुसार एम.एच.एम को एमबीए/एम कॉम (हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन) के रूप में पुनर्गठित किया जाए, की अधिसूचना जारी की गयी है। अतः उप-रजिस्ट्रार, अस्पताल प्रबंधक एवं अस्पताल सहायक प्रबंधक के पद जिनकी शैक्षणिक अर्हता अनुसूची अनुसार एम.एच.ए. निर्धारित हैं, ऐसे पदों पर उक्त अधिसूचना के अनुसार योग्यताधारी उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।



03. आरक्षण :-

- (1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (Vertical) आरक्षण लागू होगा :-

अनुसूचित जाति	-	16 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	-	20 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	-	27 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	10 प्रतिशत

- (2) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।

- (3) परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग/म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग/माननीय न्यायालय द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो, नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा एवं तदसमय लागू आरक्षण अनुसार परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा।

04. यात्रा भत्ता - अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

05. परीक्षा केन्द्र - परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण एम.पी.ऑनलाइन के द्वारा किया जावेगा।

06. निरर्हता -

- (1) अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार होगी जो हाईस्कूल, हायर सेकण्ड्री या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर, किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस वापस किये जाने का दायित्व नहीं होगा।

- (2)(क) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या जिसकी पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरुष अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

(2)(ख) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण से पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पति की एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

(2)(ग) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है। परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसके पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

3. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये अनुचित तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या प्रतिरूपण किया/कराया गया हो।
4. कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया हो।
5. भर्ती के किसी भी स्तर पर आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई गई हो।
6. परीक्षा के समय अनियमित/अनुचित साधन का प्रयोग किया गया हो।
7. परीक्षा के समय लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को धमकाया/दुर्व्यहार किया गया हो।
8. ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
9. किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

7. अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति –

अभ्यर्थी का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई अभ्यर्थी जो ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्चात जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना हो।

8. अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण का दावा –

- (1) आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और विधिमान्य जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
- (2) आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के किसी जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होगा और वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थिता या चयन

का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।

9. अभ्यर्थिता का रद्द करने के लिए –

किसी अभ्यर्थी की, जो निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर दोषी पाया जाता है, अभ्यर्थिया रद्द हो जाएगी, जिसने –

- (क) ऑनलाइन (लिखित) परीक्षा में किसी भी रीति में इस प्रकार सहयोग अभिप्राप्त किया है जिससे उसकी अभ्यर्थिता प्रभावित हुई है, या
- (ख) प्रतिरूपण किया हो, या
- (ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो, या
- (घ) अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किया गए हों जो रूपांतरित किए गए हों, या
- (ङ) ऐसे विवरण दिए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो कि चयन के लिए आवश्यक हो, या
- (च) किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन के साथ परीक्षा में भाग लिया हो, या
- (छ) परीक्षा कक्ष में किन्हीं अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास किया हो, या
- (ज) परीक्षा कक्ष में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अधीक्षक/वीक्षक को कोई शारीरिक क्षति की धमकी दी हो या धमकी दिलवाई हो, या
- (झ) प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों या आदेश और परीक्षा कक्ष में अधीक्षक/वीक्षक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो, या
- (ञ) परीक्षा कक्ष में इस प्रकार दुर्व्यवहार किया हो जो आपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हो।

10. सामान्य शर्तें –

(1) आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2021 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये।

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी :-

- अनारक्षित वर्ग के लिए – 40 वर्ष
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल /स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक /निःशक्तजन /महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिये – 45 वर्ष

(2) सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।

- (3) नियुक्ति उपरांत परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र सेवा हेतु आवेदन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देना संभव नहीं होगा।
- (4) चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरीफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वैरीफिकेशन/चरित्र सत्यापन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवाएं समाप्त की जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
- (5) नियुक्ति इस संस्था के सेवाशर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
- (6) स्कूटनी परिणाम एवं चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी संस्था की वेबसाइट www.ssmcrewa.com एवं www.mponline.gov.in पर अपलोड की जायेगी। अद्यतन जानकारी के लिये वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करें। यदि आवेदक समय-समय पर जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो अभ्यर्थी की दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी।
- (7) अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा को भर्ती की प्रक्रिया किसी भी चरण पर यथोचित कारण के साथ आंशिक/पूर्णरूप से निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
- (8) चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- (9) भर्ती नियमों के अनुसार सीधी भर्ती में राज्य स्तरीय पदों/संवर्गों हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

एम.पी.ऑनलाइन तथा श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें। परन्तु इसके पश्चात भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

11. आवेदन कैसे करें :-

1. कृपया आवेदन भरने के पूर्व सावधानी पूर्वक निर्देशों को पढ़ ले। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाइन www.mponline.gov.in की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
3. आवेदन के साथ दस्तावेजों की निम्नलिखित स्कैन की गई प्रतियां अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किया जाना अनिवार्य है :-

- I. जन्मतिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट/सर्टिफिकेट/जन्मप्रमाण पत्र।
- II. 12 वीं कक्षा की अंकसूची।
- III. आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के समर्थन में संबंधित डिग्री/डिप्लोमा/फाइनल ईयर की मार्कशीट।
- IV. मध्यप्रदेश में संबंधित काउंसिल से जीवित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।

- V. फोटो पहचान पत्र।
- VI. उम्मीदवार का नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर।
- VII. जाति प्रमाण पत्र।

प्रत्येक दस्तावेज, फोटो एवं सिग्नेचर सहित 200 के.बी. आकार से अधिक ना हो।

4. यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो एमपी ऑनलाइन के दूरभाष नम्बर 07557-6720200/0755-6720222 पर सम्पर्क करें एवं समस्या का समाधान न होने पर एम.पी. ऑनलाइन के होमपेज पर "संपर्क करें" टैब अन्तर्गत शिकायत विकल्प में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।


12. मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया :-

भर्ती परीक्षा उपरांत कॉमन, श्रेणीवार एवं संवर्गवार मेरिट सूची अभ्यर्थियों के भर्ती परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एमपी ऑनलाइन द्वारा तैयार की जावेगी। उपरोक्त परीक्षा में एक समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की परस्पर मेरिट सूची तैयार करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया क्रमानुसार अपनायी जावेगी :-

1. अभ्यर्थियों के जन्म तिथि को विचार में लिया जाकर अधिक आयु के उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी।
2. बिन्दु क्र. 01 समान होने की दशा में न्यूनतम अर्हता परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत को वरीयता दी जावेगी।
3. बिन्दु क्र 01 एवं 02 समान होने की परिस्थिति में अभ्यर्थियों के 12वीं परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत को वरीयता दी जावेगी।

13. चयन हेतु CUTOFF MARKS निम्नानुसार होगा :-

- अनारक्षित एवं ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु 40 प्रतिशत अंक।
- अजजा/अजा/अपिव श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु 30 प्रतिशत अंक।



(डॉ. मनोज इन्दूरकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता


श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

पृ. क्रमांक 19963-65 स्था/अराज/एमसी/2021

रीवा दिनांक 15-02-21

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

Shyam Shah Medical College Rewa (M.P.)

Syllabus for the post of Deputy Registrar, Hospital Manager & Assistant Hospital Manager

1. Common Aptitude (30 Marks)

(A) Quantitative Ability :

The questions will be designed to test the ability of appropriate use of numbers and number sense of the candidate. The scope of the test will be percentage, Ratio & Proportion, Square roots, Averages, Interest, Profit & Loss, Discount, Partnership Business, Mixture and Allegation, Time and distance, Time & work.

(B) Logical & Numerical reasoning:

This component may include questions on analogies, similarities and differences, space visualisation, spatial orientation, problem solving, analysis, judgement, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, arithmetical reasoning and figural classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding, statement conclusion, syllogistic reasoning etc

(C) General awareness:


Questions in this component will be aimed at testing the candidate's general awareness of the environment around him and its application to society. Questions will also be designed to test knowledge of current event and of such matters of every day observations and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person. The test will also include questions relating to India and its neighbouring Countries especially pertaining History, Culture, Geography, Economic Scene, General Policy, Indian Constitution & Scientific Research . Some questions may be specifically related to Madhya Pradesh in section


(D) Basic Knowledge in Computer Applications:


The questions on basic computer knowledge will be from Characteristics of Computers, Computer Organisation including RAM, ROM, File System, Input Devices, Computer Software-Relationship between Hardware and Software, Operating System, MS-Office (exposure of Word, Excel/spread sheet, Power point), Information Technology and Society-Indian IT Act, Digital Signatures, Application of information technology in Government for E-Governance, Information Kiosks

2. Domain Syllabus of Hospital Management (70 Marks)

- Concepts of Principles of Management
- Healthcare Economics
- Health Management
- Fundamental of Healthcare Administration
- Hospital Planning
- Hospital Administration
- Finance Management
- Material Management in Hospitals
- Introduction to Basic Life Sciences, Medical Terminology and Business Communication
- Laws applicable to hospital and Legal aspects of Health


13-9-2021


13/9/21



Dean
S. S. Medical College
Rewa (M.P.)

Shyam Shah Medical College Rewa (M.P.)

Syllabus for the post of Bio-Medical Engineer

1. Common Aptitude (30 Marks)

(A) Quantitative Ability :

The questions will be designed to test the ability of appropriate use of numbers and number sense of the candidate. The scope of the test will be percentage, Ratio & Proportion, Square roots, Averages, Interest, Profit & Loss, Discount, Partnership Business, Mixture and Allegation, Time and distance, Time & work.

(B) Logical & Numerical reasoning:

This component may include questions on analogies, similarities and differences, space visualisation, spatial orientation, problem solving, analysis, judgement, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, arithmetical reasoning and figural classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding, statement conclusion, syllogistic reasoning etc

(C) General awareness:

Questions in this component will be aimed at testing the candidate's general awareness of the environment around him and its application to society. Questions will also be designed to test knowledge of current event and of such matters of every day observations and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person. The test will also include questions relating to India and its neighbouring Countries especially pertaining History, Culture, Geography, Economic Scene, General Policy, Indian Constitution & Scientific Research . Some questions may be specifically related to Madhya Pradesh in section

(D) Basic Knowledge in Computer Applications:

The questions on basic computer knowledge will be from Characteristics of Computers, Computer Organisation including RAM, ROM, File System, Input Devices, Computer Software-Relationship between Hardware and Software, Operating System, MS-Office (exposure of Word, Excel/spread sheet, Power point), Information Technology and Society-Indian IT Act, Digital Signatures, Application of information technology in Government for E-Governance, Information Kiosks

2. Domain Syllabus of Bio-Medical Engineering (70 Marks)

- Basics of Human Physiology
- Electrical Network Analysis and Synthesis
- Electronic Circuit Analysis and Design
- Biomaterials, Prosthetics and Orthotics
- Biomedical Transducers and Measuring Instruments
- Digital Electronics
- Introduction to Simulations Tools
- Signals and Control Systems
- Biomathematics & Biostatistics
- Medical Imaging Techniques
- Biomedical Digital Signal Processing
- Modelling of Physiological Systems
- Bionanotechnology
- Tissue Engineering
- Biotelemetry & Telemedicine
- Medical Robotics & Automation
- Lasers & Optics in Medicine
- Hospital Engineering & Management
- Biomedical Hazards & Safety

Dean

S. S. Medical College
Rewa (M.P.)